ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

Volume 11, Issue 2, March 2024

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

IMPACT FACTOR: 7.583

| www.ijarasem.com | ijarasem@gmail.com | +91-9940572462 |

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 2, March 2024 |

आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में व्यक्तिगत एवं शैक्षिक समस्याओं का निदान एवं उपचार - एक अध्ययन

[1]Jaswant Singh Yadav & [2]Dr. Neha Yadav

[1]Research Scholar, Dept. of Education, Sunrise University, Alwar, Rajasthan, India

[2]Associate Professor [Research Supervisor], Dept. of Education, Sunrise University, Alwar, Rajasthan, India

सार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन राजस्थान रेजीडेन्सियल एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस) द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवार जिनकी आय रूपये 1,00,000/- से कम है, के बालक-बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 14 आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें 10 विद्यालय KfW जर्मन के सहयोग से एवं 4 विद्यालय राज्य सरकार के स्रोतों से निर्मित हुये हैं। पशुपालकों के बालकों के लिए दो विद्यालय क्रमश: झालावाड़ एवं सागवाड़ा (डूँगरपुर) में निर्माणाधीन हैं।इन विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में स्थापित विद्यालयों में 80 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए, 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए, 8 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इन आवासीय विद्यालयों में SC, ST व OBC के अनाथ, बी.पी.एल., परित्यक्ता, विधवा महिला परिवारों के बालक/ बालिकाओं को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है।इन 14 विद्यालयों में 7 विद्यालय क्रमश: खोड़न (बांसवाड़ा), भैसवाड़ा (जालौर), हिंगी (कोटा), पावटा (नागौर), छाण (सवाईमाधोपुर), आटूण (भीलवाड़ा) एवं वजीरपुरा (टोंक) बालिकाओं के लिए एवं 7 विद्यालय क्रमश: मण्डोर (जोधपुर), केनपुरा (पाली), खेड़ा आसपुर (डूँगरपुर), बगड़ी (दौसा), अटरू (बारां), हरियाली (जालौर) एवं मण्डाना (कोटा) बालकों के लिए हैं।इनमें से हरियाली (जालौर) निष्क्रमणीय पशुपालकों के बालकों के लिए एवं मण्डाना (कोटा) भिक्षावृत्ति एवं अन्य अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बालकों के लिए संचालित हैं।इनके संचालन पर लगभग 1.00 करोड़ रूपये प्रतिमाह व्यय किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत नि:शुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, पोशाक, पाठ्यपुस्तकें, स्टेशनरी, चिकित्सा आदि सुविधाएं देय हैं।

परिचय

इन विद्यालयों का स्तर कक्षा 6 से 12 तक है। सत्र 2010-11 में स्वीकृत छात्र क्षमता 6464 है। इसके विरूद्ध वर्तमान में 5797 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विद्यालयों में गत तीन वर्षों का 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का तुलनात्मक परिणाम निम्न प्रकार रहा है :-

वर्ष	कक्षा 10 का परिणाम प्रतिशत		कक्षा 12 का परिणाम प्रतिशत	
	राईस विद्यालय	बोर्ड परिणाम	राईस विद्यालय	बोर्ड परिणाम
2007-08	74.86	53.45	94.87	77.97
2008-09	92	73.34	99.34	87.44
2009-10	92.78	73.54	97.90 (74% प्रथम श्रेणी)	88.70

वर्ष 2009-10 में कक्षा 10 व 12 में जिले में अपने वर्गों (SC, ST) में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर आवासीय विद्यालय आटूण व भैंसवाड़ा में क्रमश: 1 व 4 छात्राओं को इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार (कक्षा 10 हेतु 40,000/- रूपये व कक्षा 12 हेतु 50,000/- रूपये) से सम्मानित किया गया है।

सत्र 2010-11 में आवासीय विद्यालयों के छात्रा/ छात्राओं ने शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें से कुछ का चयन राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है।

हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करने और छात्रों का भविष्य उज्जवल बनाने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। इसी प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बालक बालिकाओं के लिए राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से बच्चों को स्वच्छ एवं अच्छे वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहे हैं। इन विद्यालयों में बालकों को निशुल्क शिक्षा,

आवास, भोजन, पुस्तकें, चिकित्सा आदि की सुविधा दी जाती है। वर्तमान में राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना के तहत 32 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है।[1,2,3]

Rajasthan Awasiya Vidyalay Yojana 2024

राजस्थान सरकार द्वारा आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवार, निष्क्रमण्य पशुपालकों, भिक्षावृत्ति एवं अन्य वंचित कार्यों से जुड़े परिवारों के बालक बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा एवं 2,000 रुपए की सहायता दी जाती है। राजस्थान आवासीय योजना के तहत विद्यार्थियों को आवास, भोजन, ड्रेस, किताबें, स्टेशनरी, चिकित्सा आदि हेतु हर महीने 2,000 रुपए की राशि का लाभ दिया जाता है। ताकि बिना किसी समस्या के विद्यार्थी अपना ध्यान शिक्षा की ओर केंद्रित कर सके।

इस योजना के तहत राज्य के बालक बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 32 आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं जिनमें से 10 विद्यालय केएफडबल्यू बैंक,जर्मन के सहयोग से एवं 22 विद्यालय राज्य सरकार द्वारा खोले गए हैं। इन आवासीय विद्यालयों का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राजस्थान रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन समिति द्वारा किया जा रहा है।

राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना 2024 के बारे में जानकारी

योजना का नाम	Rajasthan Awasiya Vidyalay Yojana
शुरू की गई	राजस्थान सरकार द्वारा
संबंधित विभाग	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग
लाभार्थी	राज्य के बालक बालिकाएं
उद्देश्य	शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु भोजन, दैनिक सामग्री, कपड़े, रहने की सुविधा सहित अन्य लाभ प्रदान करना
राज्य	राजस्थान
साल	2024
आवेदन प्रक्रिया	ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट	https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/

Rajasthan Awasiya Vidyalay Yojana का उद्देश्य

राजस्थान आवासीय विद्यालय को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के छात्र छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु भोजन, दैनिक सामग्री, कपड़े, रहने की सुविधा सहित अन्य लाभ प्रदान करना है। ताकि राज्य के भिक्षावृत्ति एवं अन्य अवांछित कार्य से जुड़े परिवारों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कई परिवार अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध नहीं कर पाते हैं जिसके कारण बच्चे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं जिससे वह अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना के तहत निशुल्क शिक्षा के साथ साथ विभिन्न सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने हेतु सहयोग किया जा सके।

प्रतिवर्ष 12 करोड़ रुपए का बजट

राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना के संचालन हेतु हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इन विद्यालयों का स्तर कक्षा 6 से 12 तक है। जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, ड्रेस, पुस्तकें, स्टेशनरी, चिकित्सा आदि सुविधाएं दी जाती है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में स्थापित विद्यालयों में 80% स्थान, अनुसूचित जनजाति के लिए 12%, अनुसूचित जाति के लिए 8% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश में गरीब बच्चे भी हाई-फाई प्राइवेट स्कूलों जैसी शिक्षा पा सकेंगे वो भी पूरी तरह मुफ्त. यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसके लिए 18 जिलों में करीब 1200 करोड़ रुपये की लागत से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्कूलों का निर्माण कराया हैय इन अटल आवासीय विद्यालयों (Atal Residential School) में बच्चों की सीबीएसई बोर्ड (CBSE Boad)n से पढ़ाई के साथ रहने-खाने की पूरी व्यवस्था होगी.[4,5,6]

उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन होना हैं. इनमें 16 जिलों में भवन निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है. इनमें स्कूलों में अगस्त महीने के अंत तक कक्षा 6 के लिए पठन-पाठन शुरू करने की तैयारी है और बाकि बचे दो विद्यालयों को भी इस साल के अंत तक शुरू किया जा सकता है. जानकारी के मुताबिक, 1189.88 करोड़ की लागत से इन आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है. इनमें बच्चों के लिए सभी उच्चस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी. सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इन स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा दी जाएगी.

इन जिलों में बन रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय प्रदेश में 18 स्थानों पर आजमगढ़, बस्ती, लखनऊ, अयोध्या, बुलंदशहर (मेरठ), गोण्डा, गोरखपुर, ललितपुर (झांसी), प्रयागराज, सोनभद्र (मीरजापुर), मुजफ्फरनगर (सहारनपुर), बांदा, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, कानपुर, बरेली और मुरादाबाद में अटल आवासीय विद्यालय का संचालन होना है.

कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूरी अटल आवासीय विद्यालयों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया को भी लगभग पूरा कर लिया गया है. इनमें प्राचार्यों की नियुक्ति 5 अप्रैल तक पूरी हो चुकी है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया 22 जून को पूरी कर ली गई है. इसी प्रकार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को 26 जून को पूरा कर लिया गया है. नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया अंतिम चरण में है. साथ ही सभी स्कूलों के लिए फर्चीनर, मेस सर्विस, फैकल्टी मैनेजमेंट, यूनिफॉर्म और अन्य एसेसिरीज की उपलब्धता को भी जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी.

इन सुविधाओं से लैस होंगे ये स्कूल

प्रदेश में स्थापित होने जा रहे 18 अटल आवासीय विद्यालयों में जहां मुफ्त हॉस्टल की सुविधा होगी, वहीं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सेंट्रल एकेडमिक टीम की ओर से यूनिक एकेडमिक करिकुलम भी डिजाइन किया गया है. साथ ही कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथेमेटिक्स लैब, सोशल साइंस लैब, अटल थिंकरिंग लैब और एक्सपेरिमेंटल लैब की भी सुविधा यहां होगी. विद्यालय परिसर पूरी तरह से हरियाली से परिपूर्ण होंगे.

विचार-विमर्श

राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना के मुख्य बिंदु

- Rajasthan Awasiya Vidyalay Yojana के तहत आरक्षित वर्गों हेतु स्थानीय जिले के 50% तथा जिलों के 50% बच्चों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है।
- इन विद्यालय में पिछली कक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।
- विद्यालयों में प्रवेश हेतु राज्य स्तर के समाचार पत्रों में प्रतिवर्ष विज्ञप्ति जारी की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत आवासीय विद्यालय में दिव्यांगजन छात्रों के लिए कक्षा में श्रेणी के आधार पर तीन प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं।[7,8,9]

Rajasthan Awasiya Vidyalay Yojana 2024 के लाभ एवं विशेषताएं

- राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भिक्षावृत्ति एवं अन्य अवांछित कार्यों में लगे परिवारों के बालक बालिकाओं को दिया जाता है।
- इस योजना के तहत वर्तमान में 32 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जिनमें से 18 विद्यालय बालिकाओं के लिए संचालित किया जा रहे और 14 विद्यालय बालकों के लिए विकसित किए गए हैं।
- इन विद्यालयों के संचालन हेतु हर महीने 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। जिसके माध्यम से बच्चों को निशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, ड्रेस, पुस्तके, स्टेशनरी, चिकित्सा आदि की सुविधा प्रदान की जाती है।
- इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को लाभ दिया जाता है।
- पशुपालकों के बच्चों के लिए दो विद्यालय झालावाड़ एवं सागवाड़ा में निर्मित किए गए हैं। हरियाली (जालौर) में निष्क्रमण्य पशुपालकों के बालकों के लिए एवं मंडाना (कोटा) भिक्षावृत्ति एवं अन्य अवांछित कार्यों में लगे परिवारों के बालकों के लिए संचालित किए जा रहे हैं।
- इस योजना के अंतर्गत आवासीय विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- यह योजना राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु सहयोग करेगी।
- बिना आर्थिक तंगी के राज्य के सभी वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के नागरिक अपने बच्चों को शिक्षा का लाभ उपलब्ध करा सकेंगे।
- इस योजना का लाभ प्राप्त बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं।

राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना के लिए पात्रता

- आवेदक को राजस्थान राज्य का मूल निवासी में चाहिए।
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, निष्क्रमण्य पशुपालकों तथा भिक्षावृत्ति एवं अन्य अवांछित कार्यों से जुड़े गरीब परिवारों के बालक बालिकाएं आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
- अनाथ, बीपीएल, परित्यक्ता एवं विधवा महिला परिवारों के बालक बालिकाओं को प्राथमिकता मिलेगी।
- कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र छात्राएं इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपए से कम होनी चाहिए।[10,11,12]

Rajasthan Awasiya Vidyalay Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

अगर आप राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिसकी जानकारी नीचे दी गई है।

- आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड/ जन आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पिछली कक्षा की मार्कशीट
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- मोबाइल नंबर

राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना 2024 के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही आवेदन किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है जिसे अपना कर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

परिणाम

योजना का विवरण

अटल आवासीय विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई है। योजना के माध्यम से राज्य में नये आवासीय स्कूल संचालित किये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अटल आवासीय विद्यालय योजना के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा छात्राओं को प्रदान की जाती हैं।

लाभ

- इस योजना से राज्य के सभी अनाथ और मजदूरों के बच्चों को लाभ मिलेगा।
- योजना का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को ही दिया जायेगा।
- इस योजना पर सरकार करीब 58 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
- योजना के अंतर्गत श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई होगी।
- अटल आवासीय विद्यालय योजना के माध्यम से राज्य में 18 आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है।
- इन स्कूलों का निर्माण राज्य में 12 से 15 एकड़ भूमि में किया जाएगा, जिसमें बच्चों के लिए छात्रावास, खेल का मैदान आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- शिक्षा के साथ-साथ खेल प्रतियोगिताओं में भी छात्राओं को शामिल किया जाएगा।
- योजना से 18 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों के बच्चे लाभान्वित होंगे।

पात्रता

- स्कूल में प्रवेश के लिए 18 वर्ष से 20 वर्ष की आयु के बच्चे इस योजना के पात्र माने जायेंगे।
- आवेदक छात्र के माता-पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- योजना का लाभ राज्य के उन्हीं श्रमिकों के बच्चों को मिलेगा जो श्रम विभाग में पंजीकृत हैं।
- योजना का लाभ राज्य के सभी अनाथ एवं श्रमिक परिवारों के बच्चे उठा सकते हैं।

यूपी सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए और श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए अटल आवासीय विद्यालय योजना शुरू की गई थी . जिसके तहत इन बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाई के साथ ही रहने की भी व्यवस्था भी की जाती है. जो भी बच्चे इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है. अटल आवासीय विद्यालय में सत्र 2024-2025 के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन होगी.[13,14,15]

जो बच्चे यहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं वह जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र लेकर अप्लाई कर सकते हैं. उसके लिए विभाग ने 8 फरवरी अंतिम तिथि घोषित कर दी है. आपको बताते चलें कि अटल आवासीय विद्यालयों में क्लास 6 एवं क्लास 9 में बच्चों को प्रवेश मिलेगा. उसके लिए अलग-अलग आयु सीमा भी निर्धारित की गई है. गौरतलब है की इस सत्र में 240 छात्रों का एडमिशन प्रवेश परीक्षा के बाद होगा. प्रवेश परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा. जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा के मुताबिक जो भी बच्चे अटल आवासीय विद्यालय में क्लास 6 एवं क्लास 9 जो में एडमिशन लेना चाहते हैं वह 8 फरवरी से पहले जिला प्रवेश अधिकारी कार्यालय विकास भवन रायबरेली से एडमिशन फार्म प्राप्त कर 8 फरवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं.आवेदन के बाद मार्च के प्रथम सप्ताह में इसकी प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी. प्रवेश परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा. प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा के मुताबिक इस योजना का लाभ ऐसे श्रमिकों को प्रदान किया जायेगा जो श्रम विभाग में पंजीकरण करवा चुके हैं और पंजीकरण के बाद एक वर्ष पूर्ण कर ली हो. एक रजिस्टर्ड श्रमिक अपने दो बच्चों का एडमिशन अटल आवासीय विद्यालय में करवा सकता है. इसके साथ ही इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और अनाथ बच्चों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.

अप्लाई करते समय इन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत
• बच्चों के माता-पिता का आधार कार्ड,
• मूल निवास प्रमाण पत्र,
• माता -पिता का आय प्रमाण पत्र,
• बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
• पासपोर्ट साइज
280 छात्रों का होगा एडमिशन
जयपाल वर्मा ने बताया कि यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल अटल आवासीय विद्यालय योजना में प्रवेश लेने के लिए अलग-अलग क्लास के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है. 10 से 12 वर्ष मध्य आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 6 में ,13 से 15 वर्ष मध्य आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 9 में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. यदि किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो वह संरक्षण अधिकारी रायबरेली वीरेंद्र पाल से इस नंबर9795638527 संपर्क कर सकते हैं. इस योजना के तहत क्लास 6 में 140 बच्चे (70बालक ,70बालिका)एवं कक्षा 9 में 140 बच्चे (70 बालक ,70 बालिका) का प्रवेश होना है.[16,17,18]

निष्कर्ष

गोरखपुर। योगी सरकार की पहल पर निशुल्क सरकारी बोर्डिंग स्कूल सरीखे अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ाई शुरू करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करने का मौका मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री 23 सितंबर को वाराणसी से प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर स्थापित अटल आवासीय विद्यालयों का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वह वाराणसी में प्रत्यक्ष तो अन्य मंडलों के बच्चों से ऑनलाइन संवाद करेंगे। प्रारंभिक तैयारियों में पीएम मोदी से वर्चुअल संवाद के लिए गोरखपुर स्थित अटल आवासीय विद्यालय को भी शामिल किया गया है। प्रदेश में श्रमिकों के पाल्यों तथा कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों को उत्कृष्ट आवासीय व्यवस्था के तहत पूर्णतः निशुल्क व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अटल आवासीय विद्यालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभिनव पहल है। योगी सरकार की तरफ से प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर बनाए गए अटल आवासीय विद्यालय में पहले शैक्षिक सत्र में पठन पाठन प्रारंभ हो चुका है। पहले सत्र में ऐसे सभी विद्यालयों में मंडल स्तरीय प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर कक्षा छह में 80 विद्यार्थियों (40 बालक व 40 बालिका) को प्रवेश मिला है। गोरखपुर के सहजनवा स्थित तथा उत्तर प्रदेश भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित अटल आवासीय विद्यालय के पहले शैक्षिक सत्र का शुभारंभ 11 सितंबर को प्रवेश उत्सव के साथ हुआ। रहने, खाने, पढ़ने तथा पाठ्येतर गतिविधियों की उत्कृष्ट व्यवस्था से सत्र शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर ही यहां के विद्यार्थियों का मन पूरी तरह रम गया है। हर गतिविधि में वे पूरे मनोयोग से

सम्मिलित हो रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री से संवाद करने की संभावना को लेकर इन विद्यार्थियों का उत्साह और बढ़ गया है। अटल आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य अजीत कुमार सिंह बताते हैं कि छात्रवास से लेकर विद्यालय तक यहां बच्चों को एक मित्रवत माहौल दिया गया है। उनकी हर सुविधा व जरूरत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बच्चे सुबह से लेकर शाम तक तय हर गतिविधि में खूब उत्साह से भाग ले रहे हैं। [19]

उप श्रम आयुक्त अमित कुमार मिश्रा के मुताबिक सभी अटल आवासीय विद्यालयों का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से करेंगे। उद्घाटन अवसर पर वह बच्चों से संवाद भी कर सकते हैं। हालांकि अभी अंतिम निर्णय बाकी है, फिर भी पीएम मोदी से 'टू वे' कम्युनिकेशन को लेकर प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

आवासीय विद्यालय दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा का कारगर विकल्प हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए ठोस रोडमैप के साथ कदम बढ़ाने ठीक रहेंगे।

राज्य के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हर साल विद्यार्थियों की संख्या में गिरावट ये बयां करने को काफी है कि शिक्षा नीति में गंभीर खामी है। यह दीगर बात है कि अब तक जितनी भी सरकारें रहीं, इस सच का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाईं। खासतौर पर दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों की संख्या बढऩे के बावजूद शिक्षा को लेकर पलायन बढ़ा है। आखिर सरकारी विद्यालयों के प्रति छात्र-छात्राओं और अभिभावकों के रुख में आए बदलाव की वजह जानने से गुरेज क्यों किया जा रहा है? लंबा वक्त गुजरने के बाद अब घटती छात्रसंख्या को देखकर आवासीय विद्यालयों की जरूरत महसूस की जा रही है। यह कदम अच्छा तो है, लेकिन काफी वक्त जाया होने के बाद भी यह विचार की स्थिति में है। इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दूरदराज में खोले गए ज्यादातर सरकारी विद्यालय वर्षों गुजरने के बाद भी बुनियादी सुविधाओं की बाट जोह रहे हैं। छात्र-छात्राओं के बैठने की सुविधा, बिजली, पानी, टॉयलेट, खेल के मैदान, समेत आवश्यक सुविधाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सुधार तो हुआ, लेकिन यह स्थिति आज भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती। इससे निपटने को ही सरकार को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी के तहत उद्योगों की मदद लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। सीएसआर की मदद दूरदराज के विद्यालयों तक पहुंचने की चुनौती है। आवासीय विद्यालयों की स्थापना में धन की कमी बड़ी समस्या के रूप में सामने आना तय है। इन विद्यालयों में पहली नियुक्ति, पदोन्नति से लेकर तबादलों पर तमाम कोशिश होने के बावजूद शिक्षक तैनाती से कन्नी काटने की भरसक कोशिश करते रहे हैं। आवासीय विद्यालय बनने के बाद शिक्षकों के लिए भी आवासीय बंदोबस्त करने होंगे। इसके बगैर आवासीय विद्यालयों का संचालन कारगर साबित नहीं हो सकता। ये भी सच है कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था को लेकर राज्य गठन के बाद से ही संजीदगी से प्रयास किए गए होते तो तकरीबन सत्रह साल बाद शिक्षा की स्थिति बदली हुई नजर आती। अब देर आयद, दुरुस्त आयद पहल तो की जा रही है, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक मोर्चे पर भी दृढ़ इच्छाशक्ति की दरकार रहेगी।[20]

संदर्भ

1. "शब्दावली गाइड: आदिवासी विरासत पर अनुसंधान" (पीडीएफ)। पुस्तकालय और अभिलेखागार कनाडा। 2012. 8 अप्रैल, 2023 कोपुनःप्राप्त.
2. ^ "14.12 नस्लीय और जातीय रूढ़िवादिता का उन्मूलन, समूहों की पहचान" । अनुवाद ब्यूरो . लोक निर्माण और सरकारी सेवाएँ कनाडा। 2017. 8 अगस्त, 2017 को मूल से संग्रहीत । 30 अप्रैल, 2017 को लिया गया ।
3. ^ मैके, सेलेस्टे (अप्रैल 2015)। "शब्दावली पर संक्षिप्त नोट" । मैनिटोबा विश्वविद्यालय. मूल से 25 अक्टूबर 2016 को संग्रहीत । 30 अप्रैल, 2017 को लिया गया ।
4. ^ए बी सी "आवासीय विद्यालय प्रणाली"। स्वदेशी नींव. यूबीसी प्रथम राष्ट्र और स्वदेशी अध्ययन। 19 जुलाई, 2021 कोमूलसे संग्रहीत। 14 अप्रैल, 2017को लिया गया।
5. ^ए बी लक्सेन, मीका (24 जून, 2016)। "कनाडा के 'सांस्कृतिक नरसंहार' से बचे लोग अभी भी ठीक हो रहे हैं"। बीबीसी. मूल25 जुलाई 2016 कोसंग्रहीत। 28 जून 2016को लिया गया।
6. ^ मिलॉय, जॉन एस. (1999)। एक राष्ट्रीय अपराध: कनाडाई सरकार और आवासीय विद्यालय प्रणाली, 1879 से 1986 । मूल इतिहास में महत्वपूर्ण अध्ययन. वॉल्यूम. 11.मैनिटोबा विश्वविद्यालय प्रेस। आईएसबीएन 0-88755-646-9. 15 मार्च 2021 को मूल से संग्रहीत । 16 अक्टूबर, 2020 को लिया गया ।
7. ^ कैलिमाची, रुक्मिणी (19 जुलाई, 2021)। "लॉस्ट लाइव्स, लॉस्ट कल्चर: द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस बोर्डिंग स्कूल्स" । दी न्यू यौर्क टाइम्स । मूल से 19 जुलाई, 2021 को संग्रहीत । 24 जुलाई 2021 को पुनःप्राप्त .
8. ^ भविष्य के लिए सामंजस्य: कनाडा के सत्य और सुलह आयोग की अंतिम रिपोर्ट का सारांश"(पीडीएफ). सत्य और सुलह के लिए राष्ट्रीय केंद्र। कनाडा का सत्य और सुलह आयोग। 31 मई 2015।मूल(पीडीएफ)30 मई 2021 को। 30 मई, 2021को लिया गया।

9. ^[ए बी सी] "आवासीय विद्यालयों का अवलोकन"। मैनिटोबा विश्वविद्यालय. 20 अप्रैल 2016 कोमूलसे संग्रहीत। 14 अप्रैल, 2017को लिया गया।
10. ^[ए बी] श्वार्ट्ज, डैनियल (15 दिसंबर, 2015)। "उत्तरी आवासीय विद्यालयों में 341 छात्रों की मृत्यु हो गई"। सीबीसी न्यूज। 9 जुलाई 2018 कोमूलसे संग्रहीत। 31 जुलाई, 2018को लिया गया।
11. ^[ए बी] टास्कर, जॉन पॉल (29 मई, 2015)। "आवासीय विद्यालयों के निष्कर्ष 'सांस्कृतिक नरसंहार' की ओर इशारा करते हैं, आयोग अध्यक्ष का कहना है"। सीबीसी न्यूज। 18 मई 2016 कोमूलसे संग्रहीत। 16 दिसंबर 2015को लिया गया.
12. ^[ए बी सी डी] स्मिथ, जोआना (15 दिसंबर, 2015)। "सच्चाई और सुलह आयोग की रिपोर्ट में आवासीय विद्यालयों में 3,201 बच्चों की मौत का विवरण है"। टोरंटो स्टार। मूल26 अगस्त 2016 कोसंग्रहीत। 27 नवंबर 2016को लिया गया।
13. ^ मोरन, राय (5 अक्टूबर, 2020)। "सच्चाई और सुलह आयोग" । कैनेडियन इनसाइक्लोपीडिया । मूल से 29 सितंबर, 2021 को संग्रहीत । पुनः प्राप्त किया 10 फरवरी, 2019 .
14. ^[ए बी सी] करी, बिल; हॉवलेट, करेन (24 अप्रैल, 2007)। "ओटावा द्वारा चेतावनियों को नज़रअंदाज़ करने के कारण बड़ी संख्या में मूल निवासी मारे गए"। द ग्लोब एंड मेल। मूल27 अगस्त 2016 कोसंग्रहीत। 29 जून 2016को लिया गया।
15. ^ डेनियल, एलीसन (28 जून, 2021)। "पोषण शोधकर्ताओं ने भारतीय आवासीय विद्यालयों में कुपोषित बच्चों को आदर्श परीक्षण विषय के रूप में देखा" । बातचीत । 30 अक्टूबर, 2022 को मूल से संग्रहीत ।
16. ^ मैक्क्यूएड, रोबिन जेन; बॉम्बे, एमी; मैकइनिस, ओपल एरिला; हुमेनी, कर्टनी; मैथेसन, किम्बर्ली; एनीसमैन, हाइमी (24 जून, 2017)। "कनाडा में रिजर्व में रहने वाले प्रथम राष्ट्र के लोगों के बीच आत्महत्या के विचार और प्रयास: भारतीय आवासीय स्कूलों के अंतर-पीढ़ीगत और संचयी प्रभाव" । कैनेडियन जर्नल ऑफ साइकाइट्री / रिव्यू कैनाडिएन डी साइकियाट्री । 62 (6): 422-430। डीओआई : 10.1177/0706743717702075 । पीएमसी 5455875 । पीएमआईडी 28355491 ।
17. ^ हार्पर, स्टीफन (11 जून, 2008)। "भारतीय आवासीय विद्यालयों के पूर्व छात्रों से माफी का बयान" । भारतीय और उत्तरी मामले कनाडा । 16 मई, 2017 को मूल से संग्रहीत । 7 मई, 2017 को लिया गया ।
18. ^[ए बी सी] सीएनए। "पोप फ्रांसिस ने कनाडा में ऐतिहासिक माफी की पेशकश की"। कैथोलिक समाचार एजेंसी। 1 अगस्त, 2022 कोमूलसे संग्रहीत। 25 जुलाई, 2022को लिया गया।
19. ^ टेलर, स्टेफ़नी (2 अगस्त, 2022)। "पोप द्वारा आवासीय विद्यालयों को 'नरसंहार' कहे जाने के बाद, हाउस ऑफ कॉमन्स को भी ऐसा करना चाहिए: एनडीपी सांसद" । द ग्लोब एंड मेल । 30 अक्टूबर, 2022 को मूल से संग्रहीत । 30 अक्टूबर, 2022 को लिया गया ।
20. ^ "आवासीय विद्यालयों को नरसंहार कहने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से समर्थित" । द ग्लोब एंड मेल । 28 अक्टूबर, 2022। मूल से 29 अक्टूबर, 2022 को संग्रहीत । 30 अक्टूबर, 2022 को लिया गया ।

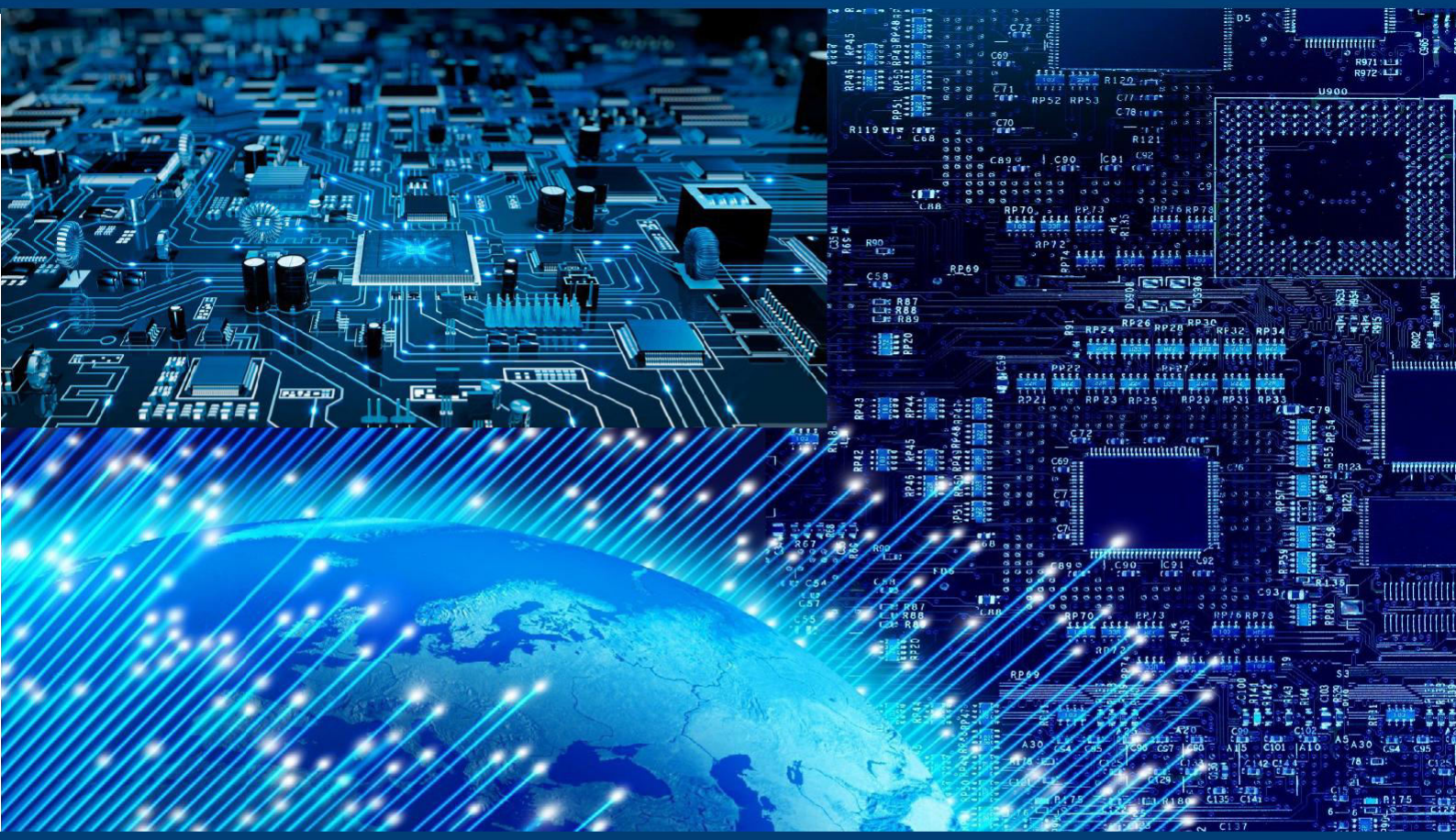

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |